BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 14 नवम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 57,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त ताहिर पुत्र हामिद निवासी ग्राम कुराला थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी एक बच्चे उम्र-09 वर्ष का अपहरण कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 12.09.2016 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 742/16 धारा 363, 364ए, 302, 201 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 22.09.2016 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 14.11.2024 को न्यायाधीश श्री वरुण मोहित निगम (मा0 न्यायालय एफटीसी -02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त ताहिर को आजीवन कारावास व 57,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विजय कुमार शर्मा व श्री कुश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर